

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 2335 / 14

संस्थापन दिनांक : 30.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बच्चू कुशवाह पुत्र केशवसिंह उम्र 27 साल निवासी
ग्राम रानीपुरा थाना सिहोनिया जिला मुरैना

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 29.11.14 को 11:30 बजे ग्राम भौनपुरा शराब के ठेके के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.जे.5776 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.14 को 11:30 बजे फरियादी रामदत्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.डी.0817 से दूध लेकर भौनपुरा से सिहोनिया जा रहा था जैसे ही वह भौनपुरा के पास सिहोनिया भौनपुरा रोड पर शराब के ठेके के पास पहुंचा तो सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-06-एम.जे.5776 को आरोपी बच्चूसिंह तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके चोट आकर खून निकल आया फिर उसके घरवाले उपचार के लिए ले गये। तत्पश्चात फरियादी रामदत्त बघेल ने थाना एण्डोरी में देहाती नालिसी दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 105/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर

मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :—
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.11.14 को 11:30 बजे ग्राम भौनपुरा शराब के ठेके के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.जे.5776 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. रामदत्त अ0सा01 ने कथन किया है कि दो-ढाई वर्ष पूर्व प्रातः 11:30 बजे वह मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.डी.0817 से दूध लेकर भौनपुर से सिहोनिया जा रहा था तब रास्ते में शराब के ठेके पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी थी। जिससे उसके चोट आई और इलाज के लिए ग्वालियर गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि सिहोनिया भौनपुर रोड शराब के ठेके के पास मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-06-एम.जे.5776 को आरोपी बच्चूसिंह ने तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. रामदत्त अ0सा01 आहत होकर घटना का प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण साक्षी है परन्तु उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और घटना के समय आरोपी द्वारा ही उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के तथ्य से इंकार किया है। साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी के संबंध में भी उसने इंकार किया है कि उसी के द्वारा घटना कारित की गयी थी। अतः घटना के समय आरोपी बच्चूसिंह द्वारा वाहन चलाया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अतः रामदत्त अ0सा01 द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 29.11.14 को 11:30 बजे ग्राम भौनपुरा शराब के ठेके के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.जे.5776 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

9. प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.जे.5776 आवेदक रणवीरसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)